POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.05.2026

1.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लिफ्ट के नाम पर गाड़ी में बैठाकर राहगीरों से लूटपाट करने वाले व टैक्सी ड्राइवरों से मोबाइल फोन एवं कैश लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छिनैती के 20 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के, घटना में प्रयुक्त 02 कार (वेन्यू व थार), 4000/- रुपये नगद, 01 कार हुंडई की चाबी एवं अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.05.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्त 1. अंकित सिंह पुत्र संजय सिंह 2. दीपान्शु पुत्र अनुज कुमार 3. तरुण ठाकुर पुत्र ओमपाल 4. नवाब भाटी उर्फ संदीप भाटी पुत्र विनोद भाटी 5. मोहित राजपूत पुत्र विजयपाल राजपूत को सेक्टर ईटा-01 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण उपरोक्त एक संगठित गिरोह है, जिनके द्वारा ग्रेटर नोएडा, नोएडा एवं एनसीआर क्षेत्र में रात्रि में गाड़ियों में घूम-फिरकर लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उनके साथ मारपीट कर उनसे उनके मोबाइल फोन, कैश आदि कीमती सामान लूट लिये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा रात्रि में काम पर जा रही टैक्सियों के चालकों के सामने गाड़ी को जानबूझकर लहराकर चलाने तथा रोके-टोके जाने पर उनके साथ मारपीट कर उनसे उनके मोबाइल फोन, कैश एवं जरूरी सामान छीनने व लूटने का अपराध कारित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त गाड़ियों को मुख्यतः किराये पर लिया जाता है एवं अपराध कारित करने के बाद उन गाड़ियों को उनके स्वामियों को वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार अभियुक्तगण बदल-बदल कर किराये पर गाड़ी लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं एनसीआर क्षेत्र में लूट व छिनैती की घटनाएं कारित करते हैं।

इसी प्रकार इनके द्वारा दिनांक 16.05.2026 को सुबह के समय सेक्टर ईटा-01 ग्रेटर नोएडा के पास सड़क पर जा रहे एक टैक्सी ड्राइवर के आगे अपनी किराये की गाड़ी को लहराकर निकाला गया। जब टैक्सी चालक द्वारा उन्हें रोका-टोका गया तो अभियुक्तगण द्वारा टैक्सी चालक के साथ जानबूझकर गाली-गलौज की गयी तथा उसके साथ मारपीट कर उससे उसका ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन व 5000/- रुपये लूट लिये गये तथा अभियुक्तगण उसकी गाड़ी की चाबी छीनकर भाग गये, ताकि वह उनका पीछा न कर सके। अभियुक्तगण लूटे गये पैसों को आपस में बराबर-बराबर बांटकर अपने शौक एवं मौज-मस्ती को पूरा करते हैं तथा लूटे गये मोबाइल फोनों को भी पैसे खर्च हो जाने के पश्चात उचित दामों में बेचकर उन पैसों का उपयोग अपने निजी कार्यों में करते हैं। अभियुक्तगण मोहित, अंकित, दीपान्शु एवं तरुण से बरामद 4000 रुपये, 01 अदद मोबाइल फोन एवं बरामद गाड़ी की चाबी, जोकि ईटा-01 के पास टैक्सी ड्राइवर के साथ घटित घटना से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना सूरजपुर पर

मु0अ0सं0-263/2026 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मिले 19 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के हैं, जिनके संबंध में बताया गया कि ये फोन अभियुक्तगण द्वारा राह चलते लोगों को लिफ्ट देकर एवं राह चलते लोगों से छीने/लूटे गये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित करने में किराये पर कार वेन्यू रजि0 नं0- यूपी16 आरटी 5285 व थार कार रजि0 नं0- एचआर98 सी 5864 का प्रयोग किया गया है। उक्त दोनों कारों को मौके से अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किया गया एवं इनके कब्जे से चोरी/छिनैती के 19 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के, ईटा-01 की घटना से संबंधित लूट के 4000/- रुपये नगद, 01 कार हुंडई की चाबी, 01 मोबाइल फोन एवं 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 03 अवैध चाकू मौके से बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अंकित सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम फत्तेपुर चौरासी, मोहल्ला मोतीनगर, थाना फत्तेपुर चौरासी, जिला उन्नाव, हाल पता किराये का मकान गली नं0-40, ग्राम याकूबपुर, थाना फेस-02, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. दीपान्शु पुत्र अनुज कुमार निवासी ग्राम फकाना, थाना गुलावटी, जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. तरुण ठाकुर पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम फकाना, थाना गुलावटी, जिला बुलन्दशहर, हाल पता किराये का मकान ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-02, जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष।
4. नवाब भाटी उर्फ संदीप भाटी पुत्र विनोद भाटी निवासी गली नं0-26, गढ़ी शहदरा, सेक्टर-142, थाना सेक्टर-142, जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।
5. मोहित राजपूत पुत्र विजयपाल राजपूत निवासी ग्राम मैथिनी, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर, हाल पता किराये का मकान नागर डेयरी के पास, गढ़ी शहदरा, थाना सेक्टर-142, जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्त मोहित का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-277/2023 धारा 283 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-119/2026 धारा 115(2)/324(4)/351(2)/352 बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
3. अ0सं0-147/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-263/2025 धारा 309(6)/352/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-265/2026 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

A.अभियुक्त नवाब उर्फ संदीप भाटी का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-265/2026 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

B.अभियुक्तगण अंकित, तरुण एवं दीपान्शु का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-263/2025 धारा 309(6)/352/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0-265/2026 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त दो कारें - वेन्यू रजि0 नं0- यूपी16 आरटी 5285 व थार कार रजि0 नं0- एचआर98 सी 5864।
2. चोरी/छिनैती के 19 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के।
3. एक हुंडई कार की चाबी (लूट की घटना से संबंधित)।
4. एक मोबाइल फोन (लूट की घटना से संबंधित)।
5. नगद 4,000/- रुपये (लूट की घटना के)।
6. 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 अवैध चाकू।

2.थाना साइबर क्राइम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- साइबर क्राइम थाना नोएडा पर पंजीकृत अभियोग में वादी मुकदमा को डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख रुपये की ठगी किए जाने का प्रकरण प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान सर्विलांस के आधार पर ज्ञात हुआ कि डिजिटल अरेस्ट हेतु प्रयोग किया गया मोबाइल नंबर एक मोबाइल कंपनी के पीओएस एजेंट द्वारा ई-सिम के रूप में एक्टिवेट किया गया था। एक्टिवेशन के उपरांत उक्त मोबाइल नंबर का प्रयोग कंबोडिया से डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध को कारित करने में किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.05.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से डिजिटल अरेस्ट से संबंधित अभियोग में भारतीय सिम को कंबोडिया में ई-सिम के रूप में एक्टिवेट करने वाला अभियुक्त/सिम एजेंट- सूरज पुत्र फूल सिंह को गुरुग्राम, हरियाणा से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सूरज पुत्र फूल सिंह निवासी पानीपत, हरियाणा, उम्र 26 वर्ष, शैक्षिक योग्यता- 10 वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 42/2026 धारा 308(2), 318(4), 319(2) बीएनएस व 66, 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सुझाव--

1. किसी भी अनजान कॉल पर स्वयं को पुलिस/CBI/ED अधिकारी बताकर पैसे मांगने पर तुरंत विश्वास न करें, यह “डिजिटल अरेस्ट” जैसी साइबर ठगी हो सकती है।

2. किसी भी अज्ञात लिंक, ऐप या स्क्रीन शेयरिंग अनुरोध को स्वीकार न करें और न ही अपने मोबाइल का एक्सेस किसी को दें।
3. OTP, बैंक डिटेल्स, UPI PIN, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
4. सोशल मीडिया/व्हाट्सएप/टेलीग्राम पर मिलने वाले निवेश, नौकरी या डराने वाले संदेशों से सतर्क रहें।
5. किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।